अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

अप्रैल 2007 केवल सदस्यों के लिए मूल्य 3 रूपए

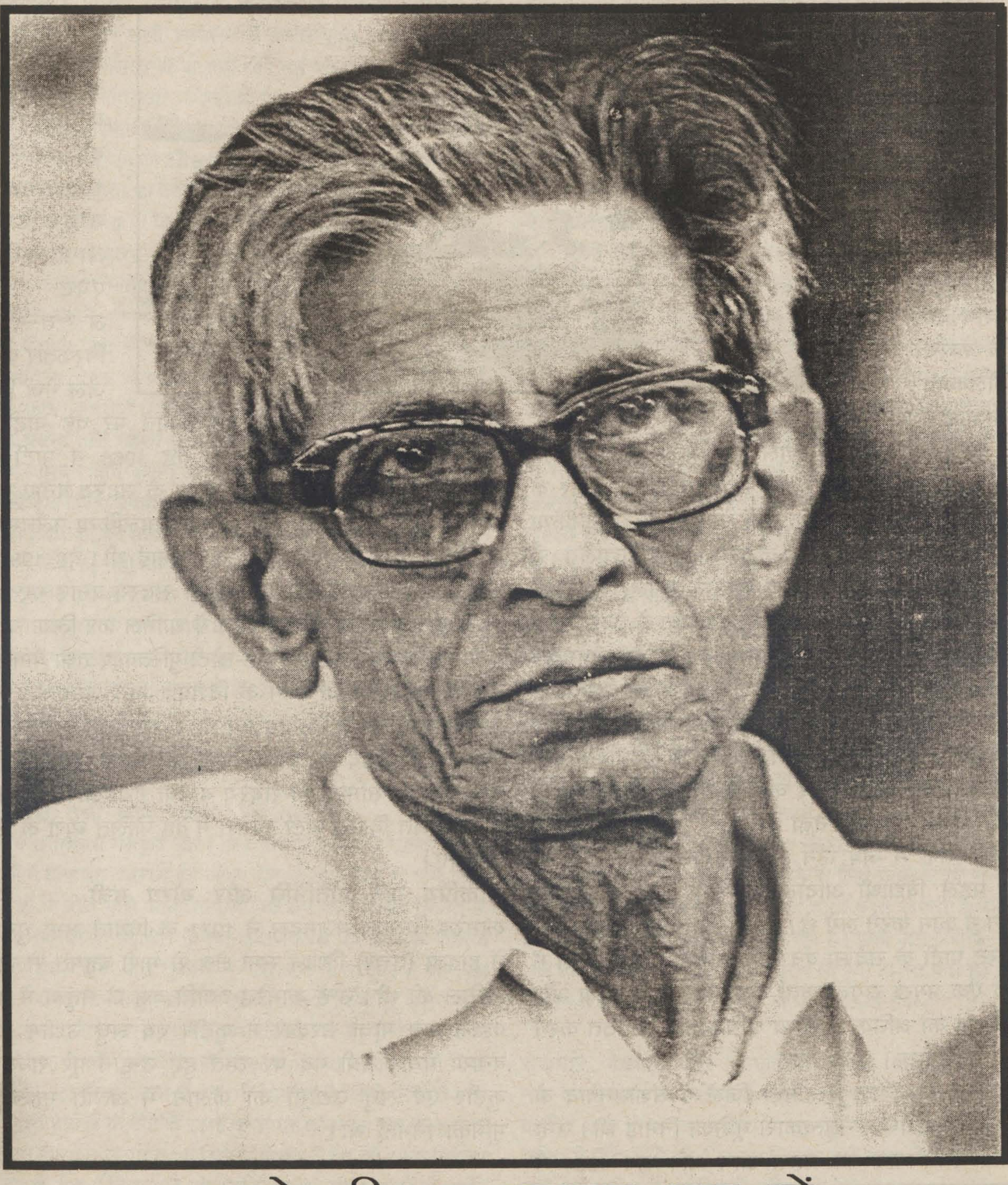

कामरेड चित्ताब्रत मजुमदार अमर रहें

कामरेड चित्तब्रत मजुमदार

सीआइटीयू के महासचिव और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की पोलित ब्यूरो के सदस्य कामरेड चित्तब्रत मजुमदार का 20 फरवरी, 2007 को कोलकाता में देहांत हो गया। वह राज्य सभा के सदस्य थे। वह 71 वर्ष के थे और अपने पीछे पत्नी सावित्री मजुमदार तथा एक पुत्री बरशाना मजुमदार को छोड़ गए हैं। वह अस्थमा से पीड़ित थे। सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन के शीघ्र बाद फेफड़ों का इनफैक्शन हो जाने के कारण उन्हें कोलकाता के अस्पताल में दाखिल कराया गया था।

उनका जन्म अविभाजित बंगाल के जिला ढाका में 14 अगस्त, 1935 को स्वर्णलता और क्षितिशचन्द्र मजुमदार के यहां हुआ था। चित्तदा जैसाकि उन्हें प्यार से सम्बोधन किया जाता था, बंगवासी कालेज, कलकत्ता विष्वविद्यालय से साईंस ग्रैजुएट थे। इसके बाद उन्होंने हुगली जिले के सीरामपुर स्थित बंगाल टेक्सटाईल इंस्टीच्यूट में टैक्सटाईल टैक्नालोजी का अध्ययन किया। कामरेड चित्तब्रत मजुमदार को टैक्सटाईल टैक्नालोजिस्ट के रूप में अनेक स्थानों से रोजगार की पेशकश हुई किन्तु इन सभी पेशकशों को ठुकराते हुए उन्होंने सालकिया विद्यापीठ में अपेक्षाकृत कम वेतन वाले शिक्षक के पद पर काम करना बेहतर समझा।

जनवादी आंदोलन के नेता

1950 के दशक में जब जन संघर्ष उभार पर थे, कामरेड चित्तदा पहले विद्यार्थी आंदोलन में और बाद में श्रमिक आंदोलन में काम करने लगे थे। तभी 1956 में वह अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। उन्होंने हावड़ा जिले में पार्टी के एक प्रमुख संगठनकर्ता के रूप में काम किया और अपने जीवन का अधिकांश समय श्रमिकों को संगठित करने के काम में लगाया।

उन्होंने 1960 के दशक में हावड़ा जिले में संशोधनवाद के खिलाफ जारी संघर्ष में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी। उन्हें मार्क्सवाद–लेनिनवाद का गहरा ज्ञान था। जब 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ तो वह सीपीआइ (एम) में शामिल हो गए और उसके एक नेता बने। उन्होंने हावड़ा जिले में सीपीआइ (एम) संगठन का बनाने में सार्थक भूमिका निभाई थी। उन्होंने नरेश दासगुप्त, जयकेश मुखर्जी तथा हरिसाधन मित्रा जैसे प्रमुख साथियों के साथ मिल कर पार्टी के जिला केन्द्र में काम किया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से 1965–66 में उन्हें डिफैंस आफ इंडिया एक्ट के अन्तर्गत गिरफतार करके जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होकर बाहर आने पर वह पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। वह 1968 में पार्टी की हावड़ा जिला समिति के सचिव मंडल के सदस्य बनाए गए। कामरेड चित्तब्रत मजुमदार ने 1978 में सालकिया पलैनम का आयोजन करने में सार्थक भूमिका निभाई थी। वह 1982 में सीपीआइ (एम) की राज्य समिति के सदस्य बनाए गए और 1985 में उन्हें राज्य सचिव मंडल में शामिल कर लिया गया। वह पार्टी शिक्षा के लिए छोटी–छोटी पुस्तिकाएं तथा पैम्फलेट इत्यादि निकालने के काम के विशेषज्ञ माने जाते थे। जहां उन्हें मार्क्सवाद–लेनिनवाद का गहरा ज्ञान था वहीं उनकी लेखन शैली बेहद सरल थी। पार्टी की चण्डीगढ़ कांग्रेस में उन्हें केन्द्रीय समिति का सदस्य बनाया गया और वर्ष 2005 में आयोजित दिल्ली पार्टी कांग्रेस में वह पोलित ब्यूरो के लिए चुने गए।

लोकप्रिय जन प्रतिनिधि और योग्य मंत्री

कामरेड चित्तब्रत मजुमदार ने 1977 के विधान सभा चुनावों में हावड़ा (उत्तर) विधान सभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। उन्हें कामरेड ज्योति बसु के नेतृत्व में बनी पहली वाम मोर्चा सरकार में कुटीर एवं लघु उद्योग मंत्री बनाया गया। मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने पूरे राज्य में कुटीर एवं लघु उद्योगों को फैलाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

(शेष पेज 15 पर)

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस-2007

इंद्राणी मजुमदार

आज से लगभग एक सौ वर्ष पहले समाजवादियों की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इस वर्ष 8 मार्च को जब हम यह दिवस मना रहे हैं तो हमारे लिए उस फैसले का स्मरण करना जरूरी हो जाता है। यह 1910 की बात है। कोपेनहेगन में द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसी सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने का फैसला किया गया था। यह वही सम्मेलन था जिसने बताया था कि महिलाओं के मताधिकार का महत्त्व क्या है, उस सम्मेलन ने सार्वभौमिक मताधिकार देने के अलावा महिलाओं को प्रसूति लाभ देने की मांग की थी और महिलाओं से रात्रि पाली में काम लिए जाने का विरोध किया था क्योंकि रात्रि पाली में काम करना कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए घातक है। दुनिया भर के शोषित श्रमिकों की एकजुटता की धारणा लम्बे समय से बन चुकी थी किन्तु समाजवादी आंदोलन के भीतर महिलाओं को राजनीतिक तौर पर महिलाओं के रूप में संगठित करने का विचार उस समय नया था और इस पर कोई विवाद पैदा न हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता।

पहले महिला दिवस के प्रदर्शन स्थलों से हजारों मील दूर हमारे अपने देश में पहले अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लगभग एक शताब्दी बाद भी यह घटना भारी महत्त्व रखती है। वह एकजुटता, अपने अधिकारों के लिए जोरदार मांग करना और जुझारू संघर्षो की वह चालक शक्ति आज भी हमारे लिए प्रकाश स्तम्भ बनी हुई है। इसने हमें महिला दिवस की महान पताका को ऊंचा उठाने का आह्वान किया था। केवल रस्म अदायगी के लिए नहीं, केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए नहीं, केवल गुलामों की भांति थोथा यशगान करने के लिए नहीं बल्कि अपनी मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए। ज्यों-ज्यों आठ मार्च का दिन समीप आता चला जा रहा है, हमारा ध्यान ज्वलंत मुद्दों और मांगों की ओर खिंचा चला जा रहा है। ये मांगे भारत में महिला दिवस के लिए जारी किए जाने वाले किसी भी मांग पत्र में शामिल की जानी चाहिए।

मूल्य वृद्धि तथा कृषि संकट

अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं और विशेष तौर पर अनिवार्य खाद्य सामग्री के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर देश के ओर-छोर में रहने वाली महिलाओं के बीच भारी आक्रोश पाया जा रहा है; वे इससे चिंतित हैं; वे थोड़ा भयभीत भी हैं। देश में नव-उदारीकरण की आर्थिक नीतियां लागू हुए डेढ़ दशक बीत चुका है – इस अर्से में सरकार ने जानबूझ कर सार्वजनिक उपभोक्ता प्रणाली को धाराशायी किया है; उसने कृषि के क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडियों कटौती की है; कृषि उत्पादकों अथवा किसानों को मूल्य वृद्धि के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया जाता और जो दिया जाता है वह भी दोषपूर्ण है; उन्हें निर्यातों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के दैवों के रहमों करम पर छोड़ा जा रहा है-इसका दुष्परिणाम खाद्यान्न उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्र में देश की आत्म निर्भरता के क्षरण के रूप में निकला है जो उपनिवेशवाद समाप्त करने के प्रधान लक्ष्यों में एक था। इसके चलते उन्हें बहुत ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने पर मजबूर होना पड़ता है; वे उस पर निर्भर करने लग जाते हैं क्योंकि वित्तीय उदारीकरण की नीतियां उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कम ब्याज दरों पर ऋण लेने नहीं देतीं। इस स्थिति में जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य धाराशायी हो जाते हैं तो उनके सिर पर कर्ज का जबरदस्त बोझ लद जाता है; वे कर्ज उतारने की हालत में नहीं होते और यह उनके जी का जंजाल बन जाता है; लाखों भूमिहीन खेत मजदूर रोजगार से वंचित हो जाते हैं। अनाजों न्यूनतम समर्थन मूल्यों को जानबूझ कर ठेस पहुंचाई जाती है जब सरकार की ओर से अनाज की बिक्री देर से की जाती है, कृशि उत्पादों के कई बोर्ड भंग कर दिए गए हैं और कृषि उत्पादों के व्यापार में सट्टा बाजारी बेरोकटोक चलती है।

कुल मिला कर इसका परिणाम इस तरह की नीतियों के पैकेज के रूप में सामने आता है जो किसानों के लिए जरूरी निवेश और उन्हें होने वाली आय से मेल नहीं खाता। इसके चलते प्रति व्यक्ति अनाज के उत्पादन में गिरावट आ जाती है। भारत के गांवों में औरतों, मर्दो और बच्चों के पर भूख का साया पड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षो से यह हालत बनी हुई है। प्रति व्यक्ति कैलोरीज़ की खपत 1940 के दशक से भी नीचे पहुंच गई है जब बंगाल में अकाल के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई थी। कृषि संकट के दुष्परिणामों को बढ़ते मूल्यों के रूप में अब शहरों में भी महसूस किया जाने लगा है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने हाल ही में महिला संगठनों के एक प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत के समय बताया था कि वह इस हालत में बेबस हैं क्योंकि अब उन्हें आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही। जो भी हो, नव-उदारीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने वाले घनघोर महारथियों एवं समर्थकों में श्री चिदम्बरम भी एक रहे हैं; इसके कारण ही आज यह हालत पैदा हुई है।

क्योंकि शहरी तथा ग्रामीण भारत दोनों में बढ़ती कीमतों ने भूख के साए और खाद्यान्न असुरक्षा को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है इसलिए एक श्रमिक, परिवार में भरण-पोषण करने वाली प्रमुख सदस्य और एक नागरिक के रूप में महिलाओं के लिए विकट स्थिति बन गई है। मौजूदा जन विरोधी नीतियों की दिशा बदलने के लिए जारी संघर्षो में मजदूरों और किसानों के बीच एकजुटता का होना बहुत जरूरी है; यह बात दिन-प्रतिदिन साफ होती चली जा रही है। इन्हीं जन विरोधी-मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के कारण मौजूदा हालत पैदा हुई है और खाद्यान्नों के क्षेत्र में इस संकट ने जन्म लिया है।

रोजगार, भेदभाव और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न

नव-उदारीकरण की नीतियों से संचालित भूमण्डलीयकरण ने महिलाओं के लिए काम के अवसर बढ़ाना तो दूर रहा बल्कि इसके विपरीत श्रम शक्ति में महिलाओं को और दर किनार कर डाला है। आज देश की कुल श्रम शक्ति में कामकाजी महिलाओं का अनुपात 32 प्रतिशत है।

इनमें से 73 प्रतिशत महिलाएं अब भी संकट ग्रस्त कृषि व्यवस्था अथवा गांवों में रह रहती हैं (उनमें से अधिकांश क्योंकि बिना वेतन अथवा पारिश्रमिक के काम करती हैं इसलिए उनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्त्रोत नहीं है)। मैन्युफैक्चरिंग श्रमिकों में कामकाजी महिलाओं का अनुपात केवल 28 प्रतिशत, निर्माण में 11 प्रतिशत है। यहां तक कि सेवा क्षेत्र जिसके बारे में बहुत शोर मचाया जाता है, में केवल 18 महिलाओं को रोजगार हासिल है। शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक है।

उन्हें रोजगार की जरूरत है; एक अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार की; इससे अधिक महत्त्वपूर्ण बात उनके लिए और कोई नहीं है। किन्तु हो क्या रहा है? भारत सरकार तथा उसके साथ-साथ निजी क्षेत्र जो भेदभाव पूर्ण भूमिका निभा रहा है, वह उनके हित में कदापि नहीं है बल्कि उनके लिए घातक है। आंगनवाड़ी श्रमिकों के मामले में इस तरह का भेदभाव वाला रवैया तीखे रूप में प्रकट होता है। आज तक उन्हें श्रमिक ही नहीं माना गया और इसी रुख के चलते उन्हें उनके काम के अनुरूप किसी भी अर्थ में वेतन नहीं दिए जाते। उन्हें इससे वंचित रखा जा रहा है। आंगनवाड़ी महिलाएं समेकित बाल विकास कार्यक्रम अथवा आइसीडीएस के अन्तर्गत रोजगार पर रखी जाती हैं; वे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को उनके लिए बहुत जरूरी पौष्टिक आहार उपलब्ध कराती हैं और वे इस तरह समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं जिससे इन्कार ही नहीं किया जा सकता। आंगनवाड़ी महिलाओं को श्रमिक न मानना और एक श्रमिक के रूप में उन्हें अधिकार न देना क्या दर्शाता है? वास्तव में, सरकार को न आइसीडीएस की और न ही उसके लिए काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की चिंता है। नव गठित ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत काम करने वाली महिला स्वास्थ्य सेविकाओं के साथ भी कुछ इसी तरह का पक्षपात किया जाता है। उन्हें जो मानदेय दिया जाता है वह आंगनवाड़ी महिलाओं को मिलने वाले मानदेय जितना भी नहीं होता। जब कामकाजी महिलाओं के प्रति सरकार का इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हो तब निजी क्षेत्र के बारे में क्या कहा जा सकता है? निजी क्षेत्र सालों से समान काम के लिए समान वेतन के कानूनों को पावों तले रौंद रहा है; इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए।

हाल ही के वर्षो में कामकाजी महिलाओं जागरूक एवं प्रगतिशील श्रेणियां विशेष तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाली महिलाएं निजीकरण, छंटनी, आउटसोर्सिंग, संविदाकरण तथा घोर संघर्ष करके हासिल किए एक सामाजिक सुरक्षा के लाभों एवं अधिकारों के क्षरण के खिलाफ संघर्ष के मैदान में रही हैं। इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम इन महिलाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं और इसके साथ ही महिला दिवस के झण्डे तले असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा के लाभों की रक्षा के लिए संघर्ष का बिगुल बजाते हैं और इस तरह हम सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि वह लोगों के साथ किए गए अपने वादे पूरे करे। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाएं अपने मजबूत संगठन के बल पर ही महिला दिवस की पताका को और ऊंचा बढ़ा सकती हैं और इसके उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।

पूंजीवाद और कामकाजी महिलाएंः हमारे दौर के सबक

पूंजी कामकाजी महिलाओं का दोहरा शोषण करती है, इस तथ्य से कोई अंधा ही इन्कार कर सकता है। महिलाओं को समान अधिकार देने और आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने का मिथ्याचार राजनीतिक तौर पर बहुत होता है; ये बातें तो ठीक हैं पर हकीकत क्या है? महिला एवं पुरुष श्रमिकों के आंदोलन के दबाव के चलते बनाए गए कानून तो बहुत हैं किन्तु जब वास्तव में कामकाजी महिलाओं को काम पर रखने का सवाल आता है तो असल तस्वीर उभर कर सामने आ ही जाती है। महिलाओं को उसी हालत में रोजगार पर रखा जाता है जब वे कम वेतन पर काम करना मान लेती हैं; जब उन्हें काम पर रखना फायदे का सौदा हो और या वे अपनी गौण स्थिति को स्वीकार कर लें; वे श्वेत कालर रोजगार में हों, इत्यादि इत्यादि। इन दिनों चहुं ओर बाजार के मंत्र गूंज रहे हैं; मानवीय गरिमा की बातें बढ़ चढ़ कर की जाती हैं इस स्थिति में महिलाएं बता सकती हैं कि हमारे यहां हकीकत में क्या होता है? एक उदाहरण के तौर पर भारत के वस्त्र उद्योग को ही लीजिए। वर्ष 1995-96 में व्यावसायिक वेतन सर्वेक्षण कराया गया था। **उसके अनुसार भारत के दक्षिणी राज्य तामिलनाडु के वस्त्र उद्योग में काम करने वाली कुल श्रम शक्ति में कामकाजी महिलाओं का अनुपात 65 प्रतिशत है। उस राज्य में कामकाजी महिलाओं और पुरुष श्रमिकों को मिलने वाले वेतनों में सबसे अधिक असमानता देखने को मिलती है। इसके विपरीत दिल्ली में वेतन असमानता दिखाई नहीं देती; यहां वस्तु उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या का बीस प्रतिशत भाग कामकाजी महिलाओं का है।**

इस महिला दिवस अर्थात् 8 मार्च को हमें विशेष तौर श्रम बाजार में नयी दाखिल होने वाली युवा महिलाओं की समस्याओं को लेना होगा; उन युवा महिलाओं की समस्याओं को भी जो श्रम बाजार में दाखिल हो सकती हैं। शायद उन्हें रोजगार ही न मिले। उन्हें यौन आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है; उनके लिए यह एक नया अनुभव होगा और या हो सकता है उन्होंने इस भेदभाव का कड़वा फल पहले से ही चख रखा है। आज उनका जीवन पहले से कहीं अधिक असुरक्षित है; वे हिंसा का शिकार होती हैं; उन्हें अकेलेपन और असमान एवं भेदभाव से भरी प्रतिस्पर्धा के दबाव भी झेलने पड़ते हैं। उन्हें झूठे सपनों की दुनिया से बाहर आना होगा; उनके मन में किसी तरह का कोई वहम नहीं रहना चाहिए; उन्हें समझना चाहिए कि पूंजीवाद महिलाओं को गुलामी वाली हालतों में रखने के लिए तमाम हथकण्डे अपनाता है। उन्हें एक नयी सोच को जन्म देना होगा और अपने भीतर नए सिरे से एकजुटता का विकास करना होगा। उनकी एकजुटता समाज में बदलाव लाने की जबरदस्त ताकत बन सकती है; वे इस समाज के स्थान पर एक नए समाज का निर्माण करेंगी जो महिलाओं के प्रति भेदभाव से मुक्त होगा और वे समान होंगी। आठ मार्च का दिन हमें यह काम करने की प्रेरणा देता है।

केन्द्रीय बजट: मजदूर उसके एजेंडे में कहीं है क्या?

दीपांकर मुखर्जी

बजट पेश होने के बाद उस पर होने वाली बहस का सबसे खराब पहलू वह तरीका है जिसके चलते देश के मजदूर की अनदेखी की गई है। उसे पूरी तरह भुला–सा दिया गया। वे चाहे मीडिया के प्रतिनिधि हों, चाहे राजनीतिक दलों के और या उद्योग जगत के, उन सब ने अपनी–अपनी नजर से बजट को देखा और अपनी–अपनी अवधारणा से काम लेते हुए उसे समझने का प्रयास किया। वे लगभग एक ही विचार के थे। श्रमिक संघों और मजदूरों के प्रतिनिधि यह देख कर भौंचक रह गए कि बजट में मजदूर कहीं दिखाई ही नहीं देता था। मानो हमारे नीति निर्माता और जन मत तैयार करने वाले लोग इंडियन एक्सप्रेस के सम्पादक के नुसखे का अक्षरशः पालन कर रहे हों जिसने कहा था "सर्वहारा और किसान राजनीति के गढ़ढे में मत फंसो।"

इस गढ़ढे में कौन है?

सर्वहारा और खेती के काम धंधे से जुड़े लोगों की श्रेणी से उनका तात्पर्य वेतन भोगियों से है; यह स्पष्ट ही है। दूसरे शब्दों में देश के 30 करोड़ लोग जो दिन में कठिनाई से एक डालर कमा पाते हैं और 60 करोड़ लोग दो डालर से कम कमा पाते हैं, उनका इशारा इन्हीं लोगों की ओर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की ओर से वर्ष 1999–2000 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 39.7 करोड़ के लगभग था। इसमें से लगभग 2. 8 करोड़ लोग संगठित क्षेत्र में काम करते थे ओर बाकी 36.9 करोड़ लोग अथवा मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करके अपनी रोजी–रोटी कमा रहे थे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 36.9 करोड़ मजदूरों में से 23.7 करोड़ मजदूर खेती के काम धंधों में लगे थे; 1.7 करोड़ लोग निर्माण के क्षेत्र में; 4.1 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों से जुड़े थे और व्यापार एवं परिवहन, संचार एवं सेवा प्रत्येक क्षेत्र में 3.7 करोड़ लोग काम करके अपनी आजीविका का उपार्जन करते थे।

यह बजट इन लोगों को क्या देता है?

इन लोगों के लिए 8 से लेकर 9 प्रतिशत तक वृद्धि दर होने का अर्थ क्या रह जाता है? उनके वेतन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अथवा उत्पादों की उच्च भूमण्डलीय कीमतों से जोड़े नहीं जाते; उन्हें देश में आकाश छूने वाली मुद्रा स्फीति से जोड़ा गया है। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने बजट से पहले वित्त मंत्री के साथ विचार–विमर्श के समय उन मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही थी जिनका सामना श्रमिक वर्ग को करना पड़ रहा है; उसका यही कारण था। वित्त मंत्री ने उस विचार–विमर्श को रस्मी कार्रवाई के रूप में लिया था और उन्होंने श्रमिक संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों की अनदेखी करना ही ठीक समझा। शायद इसलिए क्योंकि मजदूर देश के सकल घरेलू उत्पाद में 65 प्रतिशत का योगदान देते हैं। उनका कल्याण वित्त मंत्री के एजेंडे में नहीं था। बजट पूर्व विचार–विमर्श के समय सीआइटीयू, एटक, यूटीयूसी, यूटीयूसी (एलएस), इंटक, बीएमएस तथा एचएमएस जैसे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री से दूसरे कदम उठाने के साथ–साथ निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा था:

- ☐ बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कारगर कदम उठाएं; वस्तुओं के सट्टेबाज वादा कारोबार पर पाबंदी लगाएं; सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाएं और उसे मजबूत करें।
- ☐ आम लोगों पर बोझ को कम करने की दृष्टि से पेट्रोलियम उत्पादों पर कर/शुल्क/उपकर को विवेकसम्मत बनाएं।
- ☐ खेत मजदूरों के लिए जल्द व्यापक केन्द्रीय कानून बनाया जाए।
- ☐ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों सम्बन्धी विधेयक जल्द संसद में पेश किया जाए; उसमें श्रमिक संघों के सर्व सम्मत विचारों को शामिल किया गया हो और इसके लिए जीडीपी के तीन प्रतिशत के बराबर राशि का आबंटन की व्यवस्था की जाए।
- ☐ संगठित गैर फार्म क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्वालिटी रोजगार पैदा करें जबकि शहरी क्षेत्र समेत पूरे देश में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करें।
- ☐ सरकारी विभागों, स्वायत्त शासी संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में कर्मचारियों की नयी भर्ती पर लगाई गई रोक समाप्त करें।
- ☐ आय कर के लिए छूट की सीमा बढ़ा कर प्रति वर्ष 2 लाख रुपए किया जाए; वेतन भोगी वर्गो पर लगाए गए फ्रिंज लाभों पर काराधान को रद्द किया जाए; पेन्शन भोगियों तथा सेवा निवृत्तों को भी स्टैंडर्ड कटौती का लाभ दिया जाए।

संक्षेप में, श्रमिक संगठनों ने वित्त मंत्री से मांग की थी कि वे ऐसा बजट बनाएं जो गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अंदरूनी ढांचे की समस्याओं को समाधान कर सके। ऐसा करने से ही अर्थव्यवस्था का "सम्मिलित विकास" जिसका उल्लेख वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बार–बार किया था, को सुनिश्चित बनाया जा सकता है।

सार्वजनिक निवेश

सम्मिलित विकास तभी सम्भव होगा जब सार्वजनिक निवेश को और बढ़ाया जाएगा। निजी निवेश से उसमें सहायता मिल सकती है पर वह सम्मिलित विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकता क्योंकि निजी निवेश के एजेंडे में लाभ को 'सम्मिलित' किया जाता है और उसे सम्मिलित विकास की मूल अवधारणा से कुछ लेना–देना नहीं होता। सार्वजनिक निवेश में तेजी से गिरावट आई है। वर्ष 1986–87 में यह सकल घरेलू उत्पाद का 11.2ः होता था। 1993–94 को आधार वर्ष माने तो किन्तु 2003–2004 तक सार्वजनिक निवेश कम होते–होते 5. 5ः रह गया (आर्थिक सर्वेक्षण 2004–2005)। वर्ष 2005–2006 में भी यह कम अर्थात् 7ः रहा। सम्मिलित विकास पर भ्रांति बनी रहे इसे सुनिश्चित बनाने के लिए मौजूदा बजट में भी इस रुझान को बनाए रखा गया है।

मूल्यों में बढ़ोतरी

यह बजट मुद्रास्फीति के संकट विशेष तौर पर जन उपभोग की खाद्य

वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि में लाया गया है। खाद्य सब्सिडी का आबंटन 25696 करोड़ रुपए किया गया है जो पिछले साल की तुलना में केवल 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसी दर से मुद्रास्फीति बढ़ी है। बजट में किसानों के लिए उनके कृषि उत्पादों के उचित मूल्य मिलने की सम्भावनाओं को बढ़ाया जाना चाहिए था जो खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को मौजूदा खराब हालत से बाहर निकालने की कुंजी है, पर इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। बजट में किसानों के लिए उनके कृशि उत्पादों के खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी किए जाने की भी कोई योजना नहीं बनाई गई। मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए जहां पर्याप्त खाद्यान्नों की खरीद होनी चाहिए वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किए जाने की जरूरत होती है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता किन्तु इनके लिए अत्यंत अल्प धन राशिं का आबंटन का अर्थ है कि सरकार कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कतई गम्भीर नहीं है।

इसके लिए सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि आम लोग खास तौर पर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग अधिक से अधिक संख्या में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्तोदय सब्सिडियों का लाभ उठा सके, इसी यकीनी बनाया जाए। किन्तु अन्तोदय और बीपीएल कार्यक्रम के लिए एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। ग्रामीण अनाज बैंकों के लिए कुल आबंटन केवल 15.21 करोड़ रुपए का किया गया है।

कृषि उत्पादों के क्षेत्र में वादा व्यापार बहुत बढ़ चुका है; इसकी शुरूआत 2003 में एनडीए सरकार ने की थी; कीमतों में बढ़ोतरी होने का प्रमुख कारण यही है। बजट में गेहूं और चावल के वादा व्यापार पर पाबंदी लगा दी गई है; यह कदम देर से उठाया गया है। सवाल यह पैदा होता है कि स्थायी संसदीय समिति कब स्पष्ट शब्दों में सभी कृषि उत्पादों में वादा व्यापार को रद्द करने की सिफारिश करेगी और तब तक के लिए केवल दो उत्पादों के मामले में ही वादा व्यापार पर पाबंदी क्यों लगाई गई है?

अगला ज्वलंत मुद्दा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी का है। बजट में शुल्क के एडवैलोरम ढांचे को बदले बिना ही आबकारी शुल्क की दर में मामूली कटौती की है। यदि वित्त मंत्री मुद्रास्फीति को काबू में लाने के मामले में थोड़ा गम्भीर होते तो उनकी ओर से पेट्रोलियम उत्पादों के विशम कर ढांचे को विवेकपूर्ण बनाने की कोशिश की गई होती। वर्तमान में, उड्डयन टर्बाइन यूल (एटीएफ) पर केन्द्रीय आबकारी शुल्क वास्तव में डीज़ज की अपेक्षा कम हैं। एटीएफ पर केन्द्रीय आबकारी शुल्क 2.23 रुपए है जबकि डीज़ल पर 4.85 रुपए है और इस में से रोड सैस के 2 रुपए कम किए गए हैं। करों का मौजूदा ढांचा जन साधारण पर बोझ डालने वाला है और हवाई यात्रा करने वाले लोगों की सहायता करता है। एडवैलोरम ढांचे को समाप्त करके और शुल्कों में कमी लाकर करों के इस ढांचे में बदलाव लाया जाए; इसका कीमतों पर हितकारी प्रभाव पड़ेगा। एलपीजी और सिलेण्डरों और मिट्टी के तेल पर भारी भरकम सब्सिडी दिए जाने बड़ी–बड़ी बातें किए जाने पर भी बजट दर्शाता है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी वास्तव में 3080 करोड़ रुपए से कम होकर 2840 करोड़ रुपए रह गई है।

बेरोजगारी

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की ओर से रोजगार तथा बेरोजगारी पर हाल ही में कराए गए दो पंच वर्षीय सर्वेक्षणों की रिपोर्ट जारी की गई है; उसके अनुसार बेरोजगारी की दर बढ़ी है। मौजूदा दैनिक स्थिति के आधार पर 1999–2000 (सर्वेक्षण का 55वां चक्र) में बेरोजगारी की दर 7.32 प्रतिशत होने का अनुमान था जो 2004–2005 (61वां चक्र) में बढ़ कर 8.30 प्रतिशत हो गई। इस पृष्ठभूमि में, कम से कम और 300 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लागू किए जाने जिसके लिए मांग की गई थी, की बजाए वित्त मंत्री ने इसका विस्तार केवल 130 जिलों में ही किया है। इसके लिए धन का आबंटन केवल 70 करोड़ रुपए बढ़ाया गया जो 11,300 करोड़ रुपए से बढ़ कर 12,000 रुपए हो गया है। यह हास्यास्पद है।

संगठित क्षेत्र निजी तथा सार्वजनिक दोनों को मिला कर बेरोजगारी 2004 को 26.442 मिलियन थी और 2006 में बढ़ कर 26,458 मिलियन हो गई। उसमें 6000 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। यह उस समय हुआ जब रोजगार कार्यालयों के रजिस्टर में दर्ज बेरोजगारों की संख्या 31. 8. 2005 को 4 करोड़ थी। वर्ष 2005 के दौरान रोजगार चाहने वाले लोगों जिन्होंने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज कराए थे, की संख्या 39 लाख थी। इस पर भी सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती पर पाबंदी जारी है।

असंगठित क्षेत्र

पिछले वर्ष (2005–2006) श्रम मंत्रालय की ओर से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करते समय हमें सूचना दी गई थी कि सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कानून बना रही है; इसकी प्रक्रिया चल रही है; इसका नाम है, "असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधेयक।" विधेयक के प्रारूप की प्रतियां राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) तथा अर्जुन सेनगुप्त की अध्यक्षता वाले आयोग सहित सभी सम्बन्धित पक्षों को भेज दी गई। अर्जुन सेनगुप्त आयोग की ओर से भी दो विधेयकों के प्रारूप तैयार किए गए थे। इन प्रारूपों पर 9 तथा 10 दिसम्बर 2006 को नयी दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के चालीसवें सत्र में विचार किया गया था। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने उन पर अपने संशोधन का एक सैट भेजा गया था ओर और बजट से पूर्व विचार विमर्श के दौरान उन्होंने इसके कानूनी ढांचे के लिए सरकार से जीडीपी की 3 प्रतिशत राशि का आबंटन करने की मांग की थी। बजट में इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की योजना के लिए आबंटन नहीं किया गया। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए "आम आदमी बीमा योजना" का पूरा विचार ही एक क्रूर मजाक बन कर रह जाता है। देश के 37 करोड़ मजदूरों के लिए कानून बनाने की बजाए एक ऐसी योजना लाई गई है जो केवल 77 लाख परिवारों के लिए है और उसके लिए भी सरकार केवल 50 प्रतिशत धन उपलब्ध कराएगी।

आंगनवाड़ी

आंगनवाड़ी के लिए धन का आबंटन 4087 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 4761 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में इसमें केवल 16.

4 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के लिए बाल विकास पर एक कामकाजी दल द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार यदि बढ़ती मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाए तो यह बढ़ोतरी बहुत तुच्छ दिखाई देगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाएं मात्र 1,000 रुपए तथा 500 रुपए प्रति मास की अल्प राशि प्राप्त कर रही हैं; सरकार ने उनके लिए न्यूनतम वेतन प्रदान करने का आश्वासन भी नहीं दिया है।

सार्वजनिक और निजी भागीदारी

शिक्षा के क्षेत्र में धन का आबंटन बढ़ाना एक स्वागत योग्य कदम है। सरकार के नियंत्रण में आइटीआइ का दर्जा क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता और क्यों उनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता विशेष तौर पर उस समय जब उसके लिए सरकार धन उपलब्ध कराती हो? यह बात समझ से परे है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के मामले में समग्र रूप में अधिक लागत और कम आय के बीच के अन्तर (viability gap funding) का प्रश्न उभर कर सामने आ जाता है। उस स्थिति में सरकार अधिक लागत और कम आय के अन्तर को पाटने के लिए धन उपलब्ध कराती है। इस तरह की व्यवस्था केवल निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। सरकार टेढ़े ढंग से निजी क्षेत्र को सब्सिडी देती है। सार्वजनिक धन और निजी स्वामित्व इस बजट का नया मंत्र है। पीपीपी के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के "विशेष विकास" को बढ़ावा देने के लिए इस नए मंत्र का अविष्कार किया गया है।

संसाधन जुटाना/कराधान की नीति

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने संसाधन जुटाने के लिए विशेष सुझाव दिए थे। यूनियनों ने वित्त मंत्री से कहा था कि अमीर और खाते-पीते लोगों पर कर लगा कर, कार्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी करके, दोहरे काराधान से बचाव सम्बन्धी समझौते अर्थात् डीटीएए की समीक्षा करके, सट्टेबाजार की गतिविधियों से लाभ कमाने पर रोक लगाने के माध्यम से कर-जीडीपी के अनुपात को बढ़ाया जाए। सरकार की ओर से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी ओर बजट में अलग से परिशिष्ट के रूप में बयान देकर बताया गया कि 2006-2007 में नैगम घरानों को करों में दी गई छूट और दूसरे कारणों के चलते 2,35,191 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है। देश में इन दिनों जिस तरह विशेष आर्थिक अंचल अर्थात् एसईज़ैड उभर रहे हैं, उसके चलते 2007-2008 में और अधिक वित्तीय क्षति झेलनी पड़ सकती है। इस पर भी करों में दी जाने वाली छूटों की समीक्षा नहीं की जा रही। इन दिनों केवल नैगम घरानों के लिए ही बजट बनाया जाता है। श्रमिक तो उसकी कार्यसूची में कहीं हैं ही नहीं। जब श्रमिक इस एजेंडे में नहीं हैं तो जन साधारण का क्या कहना; वह तो हो ही नहीं सकते। यह एक तथ्य है; बजट को देखने से यह बात साफ हो जाती है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का वित्तीय बिल संसद में बिना किसी बहस के पास कर दिया जाता है। आम राय बनाने वालों की खुसर-फुसर सुनने को नहीं मिलती। सम्पादक, (बंकरवाले), बुद्धिजीवी तो बस नंदी ग्राम का रोना रोने में ही मग्न हैं। उनको इतनी फुर्सत कहां?

आंगनवाड़ी मुलाज़िम यूनियन, पंजाब

सीआईटीयू के आहवान पर आंगनवाड़ी मुलाज़िम यूनियन पंजाब ने पूरे राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। फतेहगढ़ साहिब में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें एक हजार से अधिक आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। बैठक का आरम्भ महिला भ्रूण हत्या के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ। यूनियन की अध्यक्षा ऊषा रानी और महासचिव हरजीत कौर ने जन समूह को संबोधित किया। ऊषा रानी ने बताया कि सीआईटीयू महिलाओं के प्रति अन्याय और भेदभाव के खिलाफ सामाजिक, राजनैतिक और वैचारिक रूप से संघर्ष जारी रखेगा। हरजीत कौर ने संसद और राज्य विधान सभा से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण विधेयक तुरंत लाने की मांग की। सीटू राज्य महासचिव रघुनाथ सिंह ने इस विशाल कार्यक्रम पर आंगनाड़ी मुलाज़िम यूनियन को बधाई देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भागीदारों ने सभी प्रकार के भेदभावों के विरूद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, साहिबाबाद, यूपी

सैंट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटिड एम्पलॉइज़ यूनियन ने साहिबाबाद, यूपी में सीईएल कैम्पस में एक बैठक कर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। यूनियन की अध्यक्षा सुधा सवाई ने बैठक की अध्यक्षता की। सीटू की कार्यकारिणी कमेटी की सदस्या रंजना निरूला जोकि मुख्य अतिथि थीं, ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास से संबंधित और उस समय न्यूयॉर्क के नीडल वर्कर्स द्वारा उठाई गई आर्थिक और राजनैतिक मांगों के बारें में बताया। उन्होनें इस बात को सदैव ध्यान रखने के लिए कहा कि हमारी सरकार और बाज़ार शासित अर्थव्यवस्था और समाज द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात केवल कही जाती है परन्तु उस पर अमल कभी नही होता। वर्तमान सार्वभौमिक आर्थिक ढांचे में महिलाओं के जीवन और उनकी कार्यशैली की बदतर स्थिति और उनके प्रति बढ़ता हुआ भेदभाव और हिंसा और इस दिन के उपलक्ष्य में ब्यूटी पार्लर्स में डिस्काउंट देना और सेमिनार करना इत्यादी इसके असल अर्थ का मजा़क उड़ा रहे हैं, जोकि हमारे असल में हमारे अधिकारों का संघर्ष है।

रंजना द्वारा सरकार की नीतियों को बदलने के लिए यूनियन की गतिविधियों और जनवादी आंदोलनों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के आहवान पर महिलाओं ने बहस में बहुत ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होनें अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संघर्ष की रीत को आगे भी जारी रखने के भाव व्यक्त किए। सीईएल यूनियन ने पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और यूनियन ने नियमित रूप से यह दिन मनाने का निर्णय लिया।

धमतरी, छत्तीसगढ़

सीआईटीयू की धमतरी जिला कमेटी ने कृषि उपज मंडी, धमतरी में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। बैठक में मंडी श्रमिक एकता यूनियन और गाड़ीवान – ठेलावान यूनियन जिसमें मंडी महिला मजदूर और किसान शामिल थे, ने सैंकड़ों की संख्या में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता राज्य मंडी श्रमिक एकता यूनियन की उपाध्यक्षा जानकी बाई ने की। उन्होनें कामकाजी महिलाओं को ट्रेड यूनियन आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लेने का आहवान किया।

सीटू जिला कमेटी की सचिव अंजना बाबर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हम अंधविश्वास, साम्राज्यवाद और धार्मिक के मुद्दे नही उठाते तब तक हम महिला अधिकारों को नही पा सकते। राज्य सीआईटीयू अध्यक्ष अजीत लाल ने ट्रेड यूनियनों और इसके नेतृत्व में महिलाओं को लाने के महत्व का विस्तार से वर्णन किया।

चण्डीगढ़, पंजाब

सीआईटीयू ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चंण्डीगढ़ में एक बैठक आयोजित की जिसमें अच्छी संख्या में जनता ने भाग लिया। भविष्य निधि, लेडी मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव्स से महिला कर्मचारी आंगनवाड़ी और म्यूनिसिपल कोर्पोरेशन के कर्मचारियों ने बैठक में भाग लिया।

सीटू पंजाब राज्य कमेटी के महासचिव रघुनाथ सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब महिलाएं औ युवतियां हिंसा के माहौल में जीती हैं, तो उसका प्रभाव हम सब पर भी पड़ता है। महिलाओं को दहेज, घरेलु हिंसा, लिंग उत्पीड़न, भ्रूण हत्या को सहती हैं और उसके संपत्ति अधिकारों का भी पालन नही होता। उन्होने यूपीए सरकार से संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग की।

बैठक को सीटू चण्डीगढ़ महासचिव और अध्यक्ष, ए साहनी और बालकृष्ण ने भी संबोधित किया। उन्होनें बताया कि किस प्रकार महिलाएं हर क्षेत्र जैसे शिक्षा, राजनीति, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, मीडीया, आर्ट और कल्चर और सेवा क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। वहां भेदभाव के विरूद्ध एक संवैधानिक गारंटी है, परन्तु इस संबंध में कानूनों का पालन नही किया जाता। प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्वभर में मनाया जाता है।

बैठक को संबोधित करने वाली महिला नेताओं में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्षाएं मनजीत कौर, राजिन्दर कौर, ज़रीना, और नम्रता और घरेलु मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी शामिल थीं।

उत्तर प्रदेश: मृतक श्रमिक के परिजनों को मुआवजा मिला

फिरोजाबाद: सीआइटीयू के दखल से काम के समय कारखाना में मारे गए श्रमिक पप्पू के परिजनों को मालिकों की ओर से एक लाख रुपए का मुआवजा देने के बारे में समझौता करना पड़ा है। बताया जाता है कि पप्पू मैसर्ज सीमा ग्लास इण्डस्ट्रीज़, जाटवपुरी, रामगढ़ में काम करता था। काम के दौरान 16 मार्च 2007 को उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही सीआइटीयू की नेता तथा कांच उद्योग क्रांतिकारी मजदूर संघ की अध्यक्ष श्रीमती रज्जो देवी मौके पर पहुंच गई। सहायक श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी को भी बुलाया गया। उनकी उपस्थिति और श्रमिकों के दबाव में मालिकों को मृतक श्रमिक के परिवार वालों को एक लाख रुपए का मुआवजा देने सम्बन्धी लिखित समझौता करने पर विवश होना पड़ा। कामरेड रज्जो देवी ने बताया कि इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। मालिक लोग न तो श्रमिकों के नाम फार्म नम्बर 12 पर अंकित करते हैं और न ही उन्हें भविष्य निधि, ईएसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभ देते हैं; श्रम कानूनों का पालन भी वे नहीं करते। जिला प्रशासन इस स्थिति को गम्भीरता से नहीं लेता जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती चली जाती हैं। समझौते के समय कामरेड रज्जो देवी के अलावा यूनिरान के दूसरे नेता उमेश यादव, दिनेश कुमार, सतीश चन्द्र, नूर मोहम्मद ओर छोटे खान इत्यादि भी मौजूद थे।

आंदोलन को तेज करो! आंगनवाड़ी फैडरेशन

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका फैडरेशन की कार्यकारिणी कमेटी की बैठक 14 से 15 मार्च 2007 को बीटीआर भवन, नई दिल्ली में हुई जिसमें पूरे देश के आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनकी मांगों पर संघर्ष का विस्तार करने का आहवान किया गया। बैठक की अध्यक्षता फेडरेशन की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा ने की। सीआईटीयू के सचिव कनाई बैनर्जी ने भी बैठक में भाग लिया। आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से सदस्यों ओर अतिथियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में 25 जुलाई से 3 अगस्त 2006 तक संसद के समीप हुई विराट क्रमिक भूख हड़ताल और उसके बाद के विकासों की समीक्षा की गई। सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि भूख हड़ताल से आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच एक उत्साह पैदा हुआ है। पहले तीन दिनों तक भारी वर्षा और अन्य मुसीबतों जैसे स्थान उपलब्ध न हो पाना, स्टेशन से लम्बी दूरी पैदल तय करना इत्यादी का सामना करते हुए भी उनका उत्साह अद्वितीय था, और वे अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए तत्पर थे। पूरे रात ओर दिन एकसाथ रहकर ओर सांसकृतिक कार्यक्रमों ने सोलिडेरिटी और मजबूत बनने की भावना पैदा की। आत्मनिर्भरता बढ़ी और बहुत से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने वापस घर जाते हुए रास्ते में आई समस्याओं को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया।

बहुत से राज्यों में संघर्ष कार्यक्रम का प्रभाव उनके संगठन पर भी पड़ा। बहुत से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने परियोजना और जिला स्तर पर यूनियन को मजबूत करने और विस्तार करने की जिम्मेदारियां लीं। इससे भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच *"बच्चों के शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य के अधिकार सुनिश्चित करने में आईसीडीएस का महत्व"* पर जागरूकता फैलाने भी मदद मिली। कार्यकारिणी कमेटी को यह महसूस हुआ कि इसी समझ को लेकर लाभार्थियों के बीच एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि गरीब किसान, खेतिहर मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर और महिलाएं भी आईसीडीएस की सेवाओं को स्थाई बनाने की मांग के संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगें। कार्यकारिणी कमेटी ने इसी मांग पर अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के साथ संयुक्त रूप से एक देशव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इस मांग को मशहूर करने के लिए पर्चे बांटना, हस्ताक्षर एकत्र करना, सेमिनार आयोजित करना, सममेलन करना और परियोजना, जिला, राज्यानुसार जत्थे इत्यादी निकालना का निर्णय लिया।

कार्यकारिणी कमेटी ने सीआईटीयू, अखिल भारतीय किसान सभा ओर अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन द्वारा एक संयुक्त आहवान पर मजदूरों, किसानों ओर खेतिहर मजदूरों के 18 अप्रैल के अखिल भारतीय मांग दिवस में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी निर्णय लिया।

फैडरेशन की महासचिव हेमलता ने कमेटी के समक्ष प्रधान मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री के आश्वासनों को जारी रखने के लिए केंद्र द्वारा किए गए प्रयत्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रधान मंत्री को रिपोर्ट देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास इत्यादी के सह सचिवों की एक कमेटी गठित की गई। कमेटी को फैडरेशन की मांगों का निरीक्षण करने और प्रधान मंत्री को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जनवरी माह के अंत में दे दी है। वर्तमान समय में रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्री के पास है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री मति रेणुका चौधरी ने आइफा के नेतृत्व को सीटू सचिव ओर राज्य सभा के सदस्य तपन सेन के साथ 14 मार्च को बुलाया। उन्होनें पुनः यह बताया कि उन्होने पहले कहा था कि वे उनके मानदेय में वृद्धि करने का हर संभव प्रयत्न करेंगी और इसीलिए वे भविष्य निधि कम्पनियों से उनहें कुछ *'विदाई तोहफा'* देने के लिए विचार कर रही है। उनहोनें यह भी कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों की भर्ती के लिए शर्तें जैसे न्यूनतम शैक्षिक कवालिफिकेशन इत्यादी को भी बढ़ाने का विचार कर रही है। तपन सेन ने कहा कि उन्हें आईसीडीएस के आधारभूत ढांचें में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाने से पूर्व आंगनवाड़ी कर्मचारियों के सभी संगठनों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए।

पिछले एक वर्ष से मंत्री यही कह रही थी, तब कार्यकारिणी कमेटी ने उनके इन्ही आश्वासनों को लागू करवाने के लिए संघर्ष को बढ़ाने का निर्णय लिया। **संसद के सामने और सभी राज्य राजधानियों में मई मास के पहले सप्ताह में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।**

कार्यकारिणी कमेटी ने योजनाबद्ध गतिविधियां चलाने पर जोर दिया। और हिन्दी भाषी राज्यों में संगठन को मजबूत बनाने की ओर ध्यान देने का भी निर्णय लिया गया। इसी के अनुसार 8 अप्रैल को दिल्ली में हिन्दी भाषी राज्यों के राज्य नेतृत्व की बैठक करने का निर्णय लिया गया।

अर्ध समय समीक्षा के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया। कार्यकारिणी कमेटी ने निर्णय लिया कि जून माह में पांचवें अधिवेशन के निर्णयों ओर निर्देषों के पालन पर अर्ध समय समीक्षा करने का निर्णय लिया। मई माह में चण्डीगढ़ में हिन्दी भायी राज्यों के कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन कक्षा आयोजित की जाएगी। परियोजना स्तर पर पूरी तैयारी के बाद सदस्यता अभियान चलाने और 2007 में सदस्यता बढ़ाकर 4 लाख करने का भी निर्णय लिया गया।

कार्यकारिणी कमेटी ने संगठन का सचिव होने पर भी हरगोबिंद कौर द्वारा संगठनात्मक अनुशासन तोड़ने को भी नोट किया और एकमत होकर उसे संगठन से निकालने का फैसला किया। और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठन को मजबूत बनाने अपनी एकता को बरकरार रखने का आहवान किया।

आंगनवाड़ी महिलाओं का प्रदर्शन

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने और मानदेय में 300 एवं 150 रु० की बढ़ोतरी करने सम्बन्धी दिए गए आश्वासन को पूरा न किए जाने के खिलाफ आंगनवाड़ी महिलाओं की ओर से यहां जुलूस निकाल कर भारी प्रदर्शन किया गया। ये महिलाएं प्रदेश के कोने–कोने से आई थीं।

इस अवसर पर आयोजित सभा को सीआइटीयू की राज्य समिति के महासचिव बादल सरोज और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन की महासचिव किशोरी वर्मा के अलावा अनेक श्रमिक नेताओं ने भी सम्बोधित किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अनेक नए काम बेगार के रूप में आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर थोप दिए गए हैं किन्तु इसके बदले में उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। उन्होंने 60 वर्ष में की जा रही सेवानिवृत्ति का विरोध भी किया। जनसभा के बाद बादल सरोज, सन्ध्या शैली, विद्या खंगार और किशोरी वर्मा पर आधारित एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्यमंत्री से मिलने गया और उन्हें अपनी मांगों पर आधारित एक ज्ञापन भेंट किया।

छत्तीसगढ़ राज्य सम्मेलन

आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका संघ का दूसरा राज्य सम्मेलन 3 से 4 फरवरी 2007 को रायपुर के समीप हीरापुर में हुआ। सम्मेलन का आरम्भ रायपुर में 3 फरवरी को दोपहर के समय एक रंगीन रंगीन रैली से हुआ। राज्य में विभिन्न परियोजनाओं से हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने रैली में भाग लिया। यूनियन के अध्यक्ष जे पी टिकारिया ने रैली की अध्यक्षता की। रैली का संबोधन आइफा की महासचिव हेमलता, छत्तीसगढ़ सीटू राज्य कमेटी के महासचिव सान्याल, यूनियन की महासचिव ऊमा नेतम और बहुत से आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा हुआ।

प्रतिनिधि सत्र जोकि 4 फरवरी को आरम्भ हुआ, का उद्घाटन हेमलता ने किया। उन्होने वार्षिक छुट्टी, मजदूरी के साथ मातृत्व छुट्टी, टीए/ डीए इत्यादी न दिए जाने पर भाजपा शासित राज्य सरकार की कड़ी निन्दा की। राज्य सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त कार्य करने पर भी एक पैसा भी अतिरिक्त नही दे रही है। उन्होनें कहा कि यूपीए की केंद्रीय सरकार एनसीएमपी में आईसीडीएस को सर्वव्यापी बनाने के वादे को अभी तक पूरा नही कर पाई है। आईसीडीएस बहुत ही अच्छी सेवा उपलब्ध करवा रहा था और छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने में सहायता कर रहा था। इन सेवाओं को स्थाई बनाकर जारी रखना आवश्यक है। उन्होने आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सीाी लाभों सहित ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के कर्मचारियों के रूप में नियमित करने और इसके लम्बित रहने तक 3,000रू और 2,000रू मानदेय के रूप में देने, मानभत्ते को उपभोक्ता कीमत सूचकांक से जोड़ने, प्रोविडेंट फंड और पेंशन देने की मांग की। उन्होनें राज्य में उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने और यूनियन को मजबूत करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों का आहवान किया।

ऊमा नेतम ने महासचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया और रिपोर्ट को एकमत होकर स्वीकारने के बाद यूनियन को मजबूत करने की इच्छा जताई। सीटू राज्य कमेटी के अध्यक्ष ए के लाल ने प्रतिनिधियों को बधाई दी। सम्मेलन में सर्वसम्मति से 31 सदस्यीय राज्य कमेटी का गठन किया गया जिसमें ऊमा नेतम को अध्यक्ष और अरूणा वैष्णव को महासचिव चुना गया।

गुजरात में प्रदर्शन

आइफा से संबंधित गुजरात आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका यूनियन ने राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों का निजीकरण करने पर एक विरोध प्रदर्शन किया। जूनागढ़, जामनगर, राजकोट, पोरबन्दर इत्यादी से हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने जूनागढ़ में धरने में भाग लिया। संगठन के अध्यक्ष चंदू भाई लखानी ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राजय सरकार को चेताया कि यदि राज्य सरकार ने अपने आदेश वापिस नही लिए तो राज्य में कड़ा संघर्ष किया जाएगा। सीटू गुजरात राज्य कमेटी के सचिव अरूण मेहता ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की उचित मांगों पर सीटू का समर्थन जताया। उन्होनें राज्य सरकार की नीजिकरण की नीतियों की आलोचना की जिसमें पहले ही बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा का निजीकरण किया जा चुका है। उन्होनें कहा कि यदि राज्य सरकार अपने इन निर्णयों को वापिस नही लेती तो राज्य में पूरा मजदूर वर्ग आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष के समर्थन में उतरेगा। विधायक चंद्रिका ने अपना समर्थन जताया और सभा में इस मुद्दे को उठाने का वादा किया। यूनियन की महासचिव गौरीबेन वाघेला और बहुत सी अन्य यूनियनों और जनसंगठनों के नेताओं ने जनसमूह को संबोधित किया। जिला कलैक्टर, पंचायत प्रधान और जिला विकास अफसर को ज्ञापन दिया गया।

दिल्ली आंगनवाड़ी यूनियन का प्रथम राज्य सम्मेलन

शनिवार, 10 फरवरी की सुबह जब दिल्ली की नव गठित यूनियन का पहला राज्य सम्मेलन होने वाला था, बारीश शुरू हो गई। आयोजकों के दिल बैठने शुरू हो गए क्योंकि दिल्ली सीटू के दफतर के बाहर खुले मैदान में सर्दियों की धूप में सम्मेलन करने की योजना बनाई गई थी परन्तु सब चौपट! योजन को तुरन्त बदला गया और आयोजकों ने शीघ्रता से पहले तल के छते हुए गलियारे में कुर्सिया, मेज और बैनर इत्यादी का इंतजाम किया। शहर में तेज़ वर्षा और कड़ी सर्दी को झेलते हुए भी उत्तर, दक्षिण औ पश्चिमी दिल्ली से आंगनवाड़ी कर्मचारी अपने पहले सम्मेलन में भाग लेने पहुँचे।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए आइफा की महासचिव हेमलता ने अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका फैडरेशन के आंदोलनों मुख्य रूप से क्रमिक भूख हड़ताल में हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों की लामबंदी का वर्णन किया। उन्होनें बताया यही वह आंदोलन था जिससे यूपीए सरकार पर कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग और न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा देने की मांग को संबोधित करने के लिए एक कमेटी गठित करने का दबाव बना। उन्होनें रेखांकित किया कि कार्यकर्ताओं की लम्बित मांगों से अन्य विभागों के समर्थन ले रही है और सांसद सीताराम येचुरी और वृंदा कारात सरकार का ध्यान इस ओर खींच रहे हैं। सरकार पर भीतर और दोनों ओर से दबाव बनाने की आवश्यकता है।

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की सदस्या रंजना निरूला ने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि कम मजदूरी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की नियमितिकरण का अभाव, विश्वभर कें समाज में महिलाओं के कार्य का मूल्य कम कर देता है। उन्होनें रेखांकित किया कि सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से महिलाओं का रोजगार एक विशेषता मानी जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह महिलाओं का कार्य है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों का संघर्ष महिलाओं के कार्य और आत्मसम्मान के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था।

कमला ने सम्मेलन में रिपोर्ट पेश करते हुए वर्तमान स्थिति की योजनाओं को पेश किया:–

1) आईसीडीएस को गैर सरकारी संगठनों को सौंपा जा रहा है। दिल्ली में ऐसे संगठनों को खाने की सप्लाई का काम दिया जा चुका है और 10 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्र अब उन गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाऐंगें जिन्हें समाज कल्याण बोर्ड तैयार करेंगी। ऐसे हालात में जहां वे एक तरफ इस गैर सरकारी करण का विरोध करेंगें वहीं दूसरी तरफ नए केंद्रों के कर्मचारी संगठन में लाना ज़रूरी है।

2) जबरन रिटायर करने की प्रक्रिया में जो मजबूत संघर्ष हमारे बुजुर्ग साथियों ने चलाया उससे सरकार के ऊपर उक अभूतपूर्व दबाव आया और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बिना हकों वाली जिन्दगी जग जाहिर हुई। हमारी यूनियन की एकजुटता में ये बुजुर्ग कर्मचारी हमेशा शामिल रहने चाहिए और रिटायर होने के लाभ प्राप्त होने तक संघर्ष जारी रहना चाहिए।

3) अन्य यूनियनों के निकम्मेपन और मंहगें व बेकार कोर्ट केसों पर निर्भर रहकर लड़ाई को गुमराह करने के तरीकों के कारण आम कर्मचारी निराश हैं। मजदूरों के हक छीनने में कोर्ट कचहरी भी शामिल रहे हैं। यूनियन को कड़ा संघर्ष करना होगा ओर पारदर्शी व जनवादी कार्यप्रणाली अपनानी होगी। अपने स्वतंत्र काम और संघर्षों को आगे बढ़ाने पर ही अन्य यूनियने भी आगे आने को तैयार होंगीं।

4) 2006 के संघर्ष ने यूनियन को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां ऊँची राजनैतिक गतिविधियों की आवश्यकता है, जिसमें 2007–08 के दिलली के बजट में आईसीडीएस और आंगनवाड़ी कर्मचारियों 10 करोड़ अलग रखे जाने की मांग करते हुए दिल्ली राज्य सभा के दरवाजे पर संघर्ष करना भी शामिल है।

संगठन के मुद्दे पर उन्होनें प्रस्तुत किया:–

1) 2007 में वर्तमान सदस्यता जोकि 299 है, को बढ़ाकर 1000 तक करना।

2) परियोजना स्तर पर नेताओं को निकालने के लिए राज्य केंद्र से तीन सदस्यीय एक टीम कार्य कर रही है।

3) केवल दो परियोजना कमेटियों में चुनी जा सकी है, अन्य क्षेत्रों में जहां यूनियन के सदस्य काम कर रहे हैं, ऐसी ही परियोजना कमेटिया चुनी जानी होंगी।

छः प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया और सर्वसम्मति से रिपोर्ट को स्वीकारा गय्या। एक 22 सदस्यीय राज्य कमेटी का गठन किया गया जिसका सचिव मंडल इस प्रकार है– अध्यक्ष–शांति देवी, उपाध्यक्ष – शकुंतला, शैल और सुशीला, महासचिव– कमला, सचिव – रूपा देवी, सुधा, सुदेश और कोषाध्यक्ष– कुसुम। शांति देवी ने धन्यवाद अदा किया।

मछुआरों तथा मत्स्य पालन श्रमिकों का पहला सम्मेलन

सीआइटीयू तथा अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से को मछुआरों तथा मत्स्य पालन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के पहले सम्मेलन का आयोजन 24–25 मार्च, 2007 को तिरुवनंथपुरम में किया गया। सम्मेलन स्थल का नामकरण मछुआरों तथा राज्य में श्रमिक आंदोलन के प्रख्यात नेता कामरेड इम्बीची बावा के नाम पर किया गया था, जबकि डायस का नाम करण कामरेड जहिदी के नाम पर 'मजबूब जहिदी मंच' किया गया था। सीआइटीयू तथा किसान सभा ने मजदूर–किसान एकता को मजबूत बनाने के उद्देष्य से इस सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया था। इससे पहले 2001 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मोहनपुरा नामक स्थान पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल में मछुआरों के अग्रगण्य नेता कामरेड पीतबसन दास को संगठन समिति का संयोजक बनाया गया था।

तथापि उसके 6 साल बाद मछुआरों तथा मत्स्य पालन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को एक संगठन में पिरोने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा सका। सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे और किसान सभा के महासचिव कामरेड के वरद राजन के मार्गदर्शन में सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन किया गया। सम्मेलन में 281 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो देश के आठ राज्यों –– आंध्र प्रदेश, असम, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल से आए थे। उनमें 27 महिला प्रतिनिधि भी शामिल थीं। पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन मंत्री किरणमय नंदा ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का आरम्भ 24 मार्च को हुआ जब के वरद राजन और एम के पन्धे की ओर से एक साथ अपने–अपने संगठनों के झण्डे लहराए गए और सभी प्रतिनिधियों के साथ मिल कर शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

स्वागत समिति के अध्यक्ष वी सिवन कुट्टी ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उसके बाद सीआइटीयू के दिवंगत महासचिव कामरेड चित्तब्रत मजुमदार, किसान सभा के नेता महबूब जहदी, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में मछुआरों के नेता नरेंन्द्र दास तथा ह्रषिकेश मैती और दूसरे शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की गई।

सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन अब्दुर रज्जाक मोला, एम एम लारेंस, हेमचन्द्रन, सुकुमार बर्मन, तथा के हेमलता पर आधारित अध्यक्ष मण्डल की ओर से किया गया।

सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे ने सम्मेलन का उदघाटन किया। पंधे अपने उदघाटन भाषण में मछुआरों तथा मत्स्य पालन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की पीड़ाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षो से केन्द्र में बनने वाली सरकारों ने उनकी अनदेखी की है। हजारों मछुआरे प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो कर प्रति वर्ष मारे जाते हैं; उनके घर–बार बर्बाद हो जाते हैं; अन्तराष्ट्रीय सीमाओं की पहचान न कर पाने के कारण वे गलती से कई बार पाकिस्तान, बंगला देश और श्री लंका चले जाते हैं; पड़ोसी देशों की पुलिस उन्हें गिरफतार कर लेती है और उन पर अमानुशिक अत्याचार किए जाते हैं। पंधे ने केन्द्रीय सरक़ार से अनुरोध किया कि वह पड़ोसी देशों के साथ इस तरह का समझौता करे जिससे समुद्र की तेज लहरों तथा दूसरे कुदरती कारणों के चलते दूसरे देश की सीमा में चले जाने वाले मछुआरों की रक्षा की जा सके। उन्होंने इसके लिए मछुआरों तथा मत्स्य पालन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सतत संघर्ष चलाने का आह्वान किया।

संगठन समिति के संयोजक पीतबसन दास ने पिछली गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे संगठन की कमजोरियों को दूर करें ताकि मछुआरों तथा मत्स्य पालन उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के एक मजबूत संगठन का निर्माण किया जा सके। उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे कामरेड के हेमलता को उनके स्थान पर संयोजक की रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दें। किरणमय नंदा ने मांग पत्र पेश किया और मांगों के महत्व पर प्रकाश डाला जबकि किसान सभा के संयुक्त सचिव एन के शुक्ल ने संगठन के संविधान का प्रारूप पेश किया। संयोजक की रिपोर्ट पर बहस में 13 साथियों ने भाग लिया।

सम्मेलन ने मछुआरों तथा मत्स्य पालन उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को लामबंद करने और उनकी मांगों के लिए 18 अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन करने और 15 मई को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाने का फैसला किया। समापन सत्र में 45 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति और 13 पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। पीतबसन दास अध्यक्ष, के हेमलता महासचिव तथा नुरुल हुड्डा कोषाध्यक्ष चुने गए।

हिमाचल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

सीटू संबद्धित हिमाचल राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन के आहवान पर शिमला में 30 अप्रैल 2007 को राज्य के 11 जिलों से हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने विधान सभा का घेराव कर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। सरकार को फरवरी मे सौंपे गए सोलह सूत्री ज्ञापन पर कोई गौर न करने के बाद यूनियन को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। प्रदेरूा सरकार ने एम एल ए, मंत्रियों के वेतन व भत्ते तो कई गुणा बड़ा दिए परन्तु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मादेय में एक रूप्या भी वर्षद्धि नही की। केंद्र सरकार ने भी इनके मनदेय में कोई वर्ष0 नही की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जांकि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने में जुटी है वह स्वयं ही कुपोषित हो गई है। कार्यकर्ताओं को 1200 रू और सहायिकाओं को 600 रू दिए जा रहे है, जबकि इनसे पूरे दिन काम लिया जाता है। यूनियन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित करने और तब तक कार्यकर्ता को 3000रू और सहायिका को 1500रू प्रतिमाह देने, पेंशन सुविधा देने, प्रत्येक वर्ष मानदेय में नियमित रूप से वर्षद्धि करने और सेवानिवर्षत्ति के दौरान ग्रेच्युटी लाभ देने की मांग प्रमुखता से उठाई। सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण फंड का प्रावधान नही बनाया जा सका है। और न ही जेबीटी और एएनएम के पदों में आरक्षण किया गया है।

प्रदर्शन में सीटू के महासचिव डा0 कश्मीर सिंह ठाकुर, प्रधान रविनद्र कुमार, कोषाध्यक्ष जगत राम, आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की प्रधान सरोज शर्मा, महासचिव इन्द्रा ठाकुर, श्रेष्ठा शर्मा, ऊषा तथा सीटू संयुक्त सचिव विजेन्द्र मेहरा ने जनसमूह को संबोधित किया तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हितों से खिलवाड़ करने के विरोध में संघर्ष तेज करने का आहवान किया।

सीटू राज्य महासचिव डा0 कश्मीर सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुए हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आंदोलन के रास्ते पर चलने को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंनें कहा कि सरकार ने इन कर्मियों की मांगें तुरन्त नही मानी तो जबर्दस्त आंदोलन छेड़ दिया जाएगा।

सीटू के अध्यक्ष रविन्द्र ने कहा कि सरकार ने मादेय काफी कम तय किया है जबकि पड़ेसी राज्य उत्तराखं डमें यह मानदेय वर्कर के वास्ते 2800 रू है जबकि सहायिकाओं को 1500 रू प्रतिमाह दिया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में कोषाध्यक्ष जगतराम ने कहा कि सरकार से लंबे समय से मांग की जा रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ न्याय किया जाए परन्तु उनकी कोई सुनवाई नही हो रही। राज्य आंगनवाड़ी वर्कर और हैल्पर यूनियन की अधयक्ष सरोज कुमारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को हर साल वेतन वर्षद्धि नही दी जा रही। न ही पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा दी जा रही है। सरकार से मांग की गई कि इनको हर साल पचास रू वेतन वर्षद्धि दी जाए। बाद में हिमाचल प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने कर्मियों की मांगों को लेकर समाज कल्याण मंत्री रंगीला राम राव से भेंट की और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा। राव से यूनियन की मांगों को तुरन्त मानकर कर्मियों को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की गई। उन्होनें कहा कि प्रदेश सरकार ने लंबित मांगों को लेकर आश्वासन दिया, जिसके चलते आंनवाड़ी कार्यकर्ता को 100 रू और सहायिका को 50 रू बढ़ाकर वेतन अप्रैल माह से दिए जाऐंगें।

दिल्ली विधान सभा का घेराव

सरकार की अनदेखी और निकम्मेपन के चलते आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका यूनियन, दिल्ली ने दिल्ली सरकार के एक दिवसीय बजट सत्र के दौरान 21 मार्च 2007 को दिल्ली विधान सभा पर जोरदार प्रदर्शन किया। वें आगामी बजट में आईसीडीएस कर्मचारियों के 10 करोड़ रू की धनराशि रखे जाने की मांग कर रहे थे। उन्होनें राज्य सरकार से न्यूनतम वेतन या उत्तरांचल सरकार की तरह कार्यकर्ताओं को 1500 रू और सहायिकाओं को 750 रू की बढ़ोतरी की मांग की। इस प्रदर्शन में दिल्ली की लगभग परियोजनाओं से लगभग एक सौ पचास आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया।

इस प्रदर्शन के लिए सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी दिल्ली विश्व विद्यालय के मैट्रो स्टेशन पर एकत्र हुए। वहां सभा की गई। सभा का संचालन यूनियन की महासचिव कमला ने किया। इन्द्राणी ने सभा को समबोधित किया और वर्तमान स्थिति बताई। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फैडरेशन की कोषाध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान स्थिति उजागर की। उन्होने बताया कि आंगनवाड़ी कर्मचारी की स्थिति पर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। केंद्र सरकार उस पर कोई कार्यवाही नही कर रही है।

सभा ने विधान सभा से रैली का रूप लेकर विधान सभा का घेराव किया। पुलिस ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पीछे हटाने के कई प्रयत्न किए। आंगनवाड़ी कर्मचारी गिरफतारी की धमकी से नही डरे। मंत्रियों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर जाना पड़ा। आंगनवाड़ी कर्मचारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के विरूद्ध आंगनवाड़ी कर्मचारियों में बहुत ही रोष था। इन्द्राणी ने सभा को संबोधित किया।

सभी आंगनवाड़ी कर्मचारियोंने संगठन को मजबूत करने व अगली बार अधिक मजबूती से संघर्ष करने की प्रतिबद्धता ली। सुधा, शकुंतला और इन्द्राणी ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर सीआइटीयू के कार्य

सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने 3 से 5 नवम्बर 2006 को विषाखापत्नम में आयोजित कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के आठवें सम्मेलन में पारित रिपोर्ट का समर्थन करते हुए सीआइटीयू की सभी राज्य समितियों और सम्बद्ध यूनियनों को उसे लागू करने और उसमें निश्चित किए गए कार्य करने का आह्वान किया है।

सीआइटीयू का मानना है कि मजदूर वर्ग को एकजुट करने के लिए कामकाजी महिलाओं के एक बड़े वर्ग को श्रमिक आन्दोलन की मुख्य धारा में लाना होगा। सीआइटीयू की यह समझ भी है कि कामकाजी महिलाओं के मुद्दे केवल महिलाओं के मुद्दे नहीं हैं बल्कि ये मजदूर वर्ग के मुद्दे हैं और इन मुद्दों का सम्बन्ध पूरे मजदूर वर्ग से है। श्रमिक आंदोलन को ये मुद्दे उठाने चाहिएं और इन पर काम करना चाहिए। इसी समझ के साथ और कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ट्रेड यूनियन आंदोलन में जगह पाएं, सीआइटीयू ने वर्श 1979 में अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) का गठन किया था।

वार्षिक विवरणी के अनुसार वर्तमान में सीआइटीयू में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 22.72 प्रतिशत भाग है। परन्तु ध्यानपूर्वक विचार करते समय पता चला कि बहुत–सी यूनियनें अपनी वार्षिक विवरणी जमा कराते समय कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं करतीं। सीआइटीयू की सदस्य संख्या में कामकाजी महिलाओं की सदस्य संख्या का अनुपात लगभग 25 प्रतिशत होगा। सीआइटीयू के नेतृत्व में चलने वाले संघर्षों तथा अभियानों में भाग लेने वाली कामकाजी महिलाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। बहुत सी कामकाजी महिलाएं, मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, न केवल यूनियन की गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं बल्कि मजदूरों की दूसरी श्रेणियों को संगठित करने के काम में भी सहायता देती हैं। भविष्य में उन्हें सीआइटीयू का और अधिक कार्यभार सौंपने के लिए उनका विकास करने और उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

निर्णय लेने वाली समितियों में पिछले कुछ सालों की तुलना में आज कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक है। यह एक अच्छा संकेत है। हमें यह रेखांकित करना होगा कि इससे सीआइटीयू के महिला सदस्यों के अनुपात में बढ़ोतरी को प्रतिबिम्बित नहीं होती। सीआइटीयू का बारहवां महाधिवेशन घोषणा करता है कि सीआइटीयू अधिक से अधिक महिलाओं को नेतृत्वकारी पदों पर लाने के लिए प्रयत्न करता रहेगा। यदि महिलाओं को अवसर मिले तो वे न केवल महिलाओं की यूनियनों बल्कि दूसरी यूनियनों का नेतृत्व करने की अपनी क्षमताओं को प्रमाणित कर सकती है।

सीआइटीयू का बारहवां महाधिवेशन, अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के आठवें सम्मेलन में पारित निम्नलिखित संगठनात्मक कार्यों का समर्थन करता है:

1. विभिन्न स्तरों की कामकाजी महिला समन्वय समितियों की भूमिका स्पष्ट करके उनका विकास करने के लिए कामकाजी महिला समन्वय समिति और सीआइटीयू के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला आयोजित करना।

2. सभी राज्यों में जहां भी संभव हो राज्य और जिला स्तर की कामकाजी महिला समन्वय समितियों का गठन करें और संबंधित सीआइटीयू राज्य कमेटियों के दिशा निर्देशों के चलते उनकी सही कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना।

3. सभी सीआइटीयू संबंधित यूनियनों में महिला सदस्यों सहित महिलाओं की उप समितियों का गठन करना; राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति की बैठकों में उनकी कार्य प्रणाली पर विचार करना और वे अपना काम नियमित रूप से करें, इसे सुनिश्चित बनाना।

4. कामकाजी महिलाओं की मांगों पर अभियान चलाना और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि सीआइटीयू की राज्य समितियां कामकाजी महिलाओं की प्रमुख मांगों पर विचार विमर्श करने के बाद जहां कहीं भी संभव हो सके वहां स्थानीय/जिला/राज्य स्तर पर, अभियान चलाने की योजना बनाना और कामकाजी महिलाओं को इसके लिए लामबंद करना।

5. असंगठित क्षेत्र, जिसमें घरेलु मजदूर शामिल हैं, में कामकाजी महिलाओं के विभिन्न श्रेणियों को संगठित करने के लिए गम्भीर प्रयास करना। उन क्षेत्रों–उद्योगों की पहचान करना जहां बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं काम करती हैं। सीआइटीयू की राज्य समितियों में विचार विमर्श करने के बाद प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और लक्ष्य बनाकर उन्हें संगठित करने के लिए ठोस योजनाएं बनाना।

6. सीआइटीयू और विभिन्न स्तरों पर उससे सम्बद्ध यूनियनों की निर्णायक समितियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयत्न करना।

7. कामकाजी महिलाओं के लिए नियमित रूप से अलग से ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन करना; सीआइटीयू की कक्षाओं में महिला ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की सही भागीदारी सुनिश्चित करना।

(पेज 2 से)

कामरेड मजुमदार ने कुटीर एवं लघु उद्योगों में उत्पादित सामान की बिक्री के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित तंतुजा, तंतुश्री तथा मंजुशा जैसे संस्थानों का विकास किया और इनके काम की देख रेख की थी। वह वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नए अविष्कारों में गहरी रुचि लेते थे इसीलिए उन्होंने बंगाल में जन विज्ञान के आंदोलन को सांगंठनिक स्वरूप प्रदान किया। वह पश्चिमबंग विज्ञान मंच के संस्थापकों में एक थे।

कामरेड चित्तब्रत मजुमदार 2004 में राज्य सभा के लिए चुने गए। वह वित्त सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति के सदस्य थे। वह लाभ के पदों पर संयुक्त समिति के सदस्य भी थे। कामरेड चित्तदा ने राज्य सभा सदस्य के रूप में केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक, श्रम एवं वित्तीय नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के मामले में सार्थक भूमिका निभाई थी और वह श्रमिक वर्ग की समस्याओं एवं मुद्दों को सदन में उठाते रहते थे।

श्रमिक वर्ग के नेता

कामरेड चित्तदा शुरू से ही श्रमिक आंदोलन से जुड़े रहे थे। उन्होंने विशेष तौर पर इंजीनियरिंग उद्योग में ट्रेड यूनियन आंदोलन को विकसित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया था। उन्होंने कारखानों और बस्तियों में जा–जाकर श्रमिकों को संगठित किया। वह हावड़ा में मैटल वर्कर्स यूनियन के सचिव थे। उन्होंने ब्रिज एण्ड रूफ, रीरोल बर्न, हुगली डाक एवं इंजीनियर्स, बाइको लारी एवं दूसरी ट्रेड यूनियन इकाईयों के साथ निकट रूप से काम किया था। श्रमिक आंदोलन में संशोधनवाद के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में सीपीआइ (एम) के गठन में भारी योगदान दिया था।

वह बेहद योग्य ट्रेड यूनियन संगठनकर्ता थे। वर्श 1970 में सीआइटीयू. का गठन होने पर कामरेड चित्तब्रत मजुमदार उसकी कार्य समिति के सदस्य चुने गए। वर्ष 1990 में उन्हें सीआइटीयू की पश्चिम बंगाल राज्य समिति का महासचिव चुन लिया गया। उसके अगले ही वर्ष 1991 में वह सीआइटीयू के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। वह सीआइटीयू की सबसे बड़ी राज्य इकाई के महासचिव के रूप में उस समय तक काम करते रहे जब जनवरी 2004 में चेन्नै में आयोजित सीआइटीयू के ग्यारहवें महाधिवेशन में अखिल भारतीय महासचिव चुन लिया गया था। बंगलौर में 17–21 जनवरी, 2007 को आयोजित बारहवें महाधिवेशन में वह एक बार फिर सीआइटीयू के महासचिव चुने गए थे।

साम्राज्यवाद के विचारधारात्मक एवं आर्थिक हमलों के कारण पैदा अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने विचारधारात्मक स्पष्टता और संगठन की सही समझ के साथ सीआइटीयू का नेतृत्व किया था। वह सदा आर्थिक मांगों से आगे बढ़ कर श्रमिक आंदोलन का प्रसार करने और उन्हें व्यापक राजनीतिक संघर्षो एवं आंदोलनों में परिवर्तित करने के महत्त्व पर बल दिया करते थे। उन्होंने साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के निर्देषों के खिलाफ श्रमिकों की अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता की स्थापना करने के काम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और आइएलओ के सम्मेलनों में सीआइटीयू का प्रतिनिधित्व किया था। कामरेड चित्तदा ने अपने ट्रेड यूनियन जीवन में स्विटजरलैंड, यूके, यूएसएसआर, उत्तरी कोरिया, चीन, आस्ट्रेलिया, मलेषिया, फ्रांस, आस्ट्रिया, दक्षिणी अफरीका, आयरलैंड, इटली, जापान, ग्रीस सहित अनेक देशों का दौरा किया था।

उन्होंने मार्क्सवाद–लेनिनवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा, पार्टी और ट्रेड यूनियन संगठन पर असंख्य लेख लिखे थे। उनके कुछेक लेखों का एक संकलन तैयार करके बंगला भाषा में 'इक, दुई, तीन' शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। वह सदा नयी–नयी सूचनाओं से अपना ज्ञान वर्धन करते रहते थे और आधुनिक दौर की तकनीकों को समझने का प्रयास करते रहते थे। वह गणशक्ति के अन्तर्राष्ट्रीय संस्सकरण के प्रधान सम्पादक बने रहे। वह खेलों में भी भारी रुचि रखते थे।

वह कार्यकर्ताओं और नेताओं का विकास करने के काम की ओर विशेष ध्यान देते थे। वह न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान में उनका मार्ग दर्शन करते थे।

कामरेड चित्तब्रत मजुमदार हमारे बीच नहीं रहे। किन्तु उनकी विनम्र जीवन शैली, उनका अगाध ज्ञान, एक समर्पित कम्युनिस्ट के रूप में उनकी भूमिका और ट्रेड यूनियन संगठनकर्ता के रूप में उनकी उपलब्धियां कम्युनिस्टों की वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं तथा श्रमिकों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्त्रोत बनी रहेंगी। उन्होंने सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन में महासचिव की रिपोर्ट पर बहस के बाद जो समापन भाषण दिया था, वह संगठन को कारगर बनाने और नव–उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण के मौजूदा हमलों के खिलाफ तीव्र संघर्षो की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्ग दर्शन करता है। यह श्रमिक आंदोलन के भावी संघर्षो के लिए सदा प्रेरणा का स्त्रोत बना रहेगा।

श्रमिक आंदोलन के इस नेता को हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट करते हुए आईए, हम उन आदर्शो और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को पुनर्समर्पित करें जिनके लिए वह जिए और अंत तक संघर्ष करते रहे।

18 अप्रैल 2007
मजदूर किसान मांग दिवस

सीआइटीयू के बारहवें अखिल महाधिवेशन ने और बातों के अलावा भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा तथा भारतीय खेत मजदूर यूनियन के साथ विचार विमर्श करने और मेहनतकश अवाम की उन सभी श्रेणियों जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके साथ–साथ जन साधारण की समस्याओं को लेकर आंदोलन चलाने का फैसला किया था। सीआइटीयू, किसान सभा तथा खेत मजदूर यूनियन ने उसके बाद मजदूरों, किसानों तथा खेत मजदूरों के सांझे मुद्दों पर पूरे देश में संयुक्त रूप से अभियान चलाने का फैसला किया है। हमने इसके लिए चरणबद्ध ढंग से संघर्ष चलाने का निश्चय किया था। उसकी चरम परिणति 18 अप्रैल, 2007 को राष्ट्रव्यापी प्रदर्षनों के साथ हुई और निम्नलिखित सांझे मुद्दों पर "मजदूर–किसान मांग दिवस" मनाया गयाः

1. जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई को रोको।
2. किसानों को वाजिब दाम देकर और अनाज की सरकारी खरीद की व्यवस्था को मजबूत बना कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह बहाल करो और इसकी चरम परिणति के रूप में इसे सार्वभौमिक बनाओ।
3. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और खेत मजदूरों के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक लाओ।
4. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को असरदार तरीके से लागू करो और शहरी इलाकों को भी इसके दायरे में लाकर इसे सार्वभौमिक बनाओ।
5. खेती और परम्परागत उद्योगों पर बुरा असर डालने वाली सीमा शुल्कों में कटौतियों को वापस लो।
6. आइसीडीएस को सार्वभौमिक बनाओ अथवा उसे सभी जगह लागू करो; आंगनवाड़ी कर्मचारियों को नियमित करो और उनकी कामकाजी एवं जीवन स्थितियों में सुधार लाओ।
7. किसानों और खेत मजदूरों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्जा दो, कर्ज के बोझ तले दबे गरीब किसानों के कर्ज माफ करो।
8. जमीन जोतने वाले को दी जाए और इस काम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
9. सभी श्रम कानून लागू करो और न्यूनतम वेतनों को अमल में लाओ।
10. किसानों, खेत मजदूरों और दूसरे प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष आर्थिक जोन (एसईज़ैड) कानून में सुधार किया जाए।

तीनों संगठनों ने इन मांगों को जोरशोर से उठाने के लिए जिलों में संयुक्त रैलियों का आयोजन करने का निर्णय लिया है।

सीआइटीयू, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन एवं अन्य यूनियनों की राज्य स्तरीय बैठक कर 18 अप्रैल 2007 के कार्यक्रम की सफलता के लिए विस्तष्त योजना बनाई जा रही है। संयुक्त कार्रवाई के लिए तमाम राज्यों में संयुक्त कन्वेंशनों का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त पर्चा–पोस्टर और दीवाल लेखन इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी ताकि अपनी मांगों को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए और 18 अप्रैल के कार्यक्रम की सफलता की गारंटी की जा सके।

तीनों संगठनों के नेताओं ने 2 मार्च, 2007 को एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी करके तमाम संगठनों से अपील की थी कि इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में कामकाजी महिलाओं को शामिल किया जाए और इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

वक्तव्य में आगे कहा गया था कि "औद्योगिक और खेत मजदूरों तथा किसानों के बीच उनकी बद से बदतर होती चली जा रही जीवन स्थिति के कारण बहुत असंतोष पाया जा रहा है। किसानों की आत्महत्या और बंद उद्योगों के मजदूरों की आत्महत्या, इन असंतोषों का ही प्रतिफल है। यह एक ऐसा संयुक्त संघर्ष है जिससे देश में मजदूरों और किसानों की एकता को विकसित किया जा सकता है। आज की संकट की स्थिति में यह समय की आवश्यकता है।"

नेताओं ने सभी जन संगठनों के कार्यकर्ताओं से अपील की कि परिस्थिति की गम्भीरता को समझते हुए इस कार्रवाई की सफलता के लिए पूरी ताकत के साथ प्रयत्न करें।

के हेमलता द्वारा, अखिल भारतीय कामगार महिला सभन्वय समिति (सीटू) के लिए, ए–13, राउस ऐवेन्यू, नई दिल्ली से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, झिलमिल इंडस्टीयल एरिया, जी टी रोड, शाहदरा दिल्ली–95 से मुद्रित